

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-27/2023-4260

व०प०, राँची, दिनांक-09/11/23

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची-83400

विषय :- मेसर्स वेस्ट बोकारो कोलियरी की विस्तारीकरण परियोजना हेतु 36.94 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-774 दिनांक-25.07.2023 एवं पत्रांक-983 दिनांक-03.10.2023 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (3) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमंडल अंतर्गत चिन्हित गैर वनभूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चिन्हित गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं रख-रखाव की राशि जमा की जायेगी।
- (5) प्रस्तावित वनभूमि पर FRA, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) CWLW के मंतव्य के आलोक में अधिरोपित शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (7) वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (8) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


09/11/2023

(जलज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-27/2023-4260

व०प०, राँची, दिनांक-09/11/23

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।

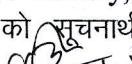

09/11/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-27/2023-4260

व०प०, राँची, दिनांक-09/11/23

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/Head Environment Management RM, West Bokaro Colliery, Tata Steel Limited, P.O.-Ghatotand, Block-Mandu, Dist-Ramgarh, Jharkhand-825314 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


09/11/2023

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 36.94 ha for Expansion Project of M/s West Bokaro Colliery under Ramgarh Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 36.94 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.- 4250 dated-...09/11/23

9/11/23
Rajdeep Sanjay Lal John

Additional Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,

Jharkhand Ranchi.

Additional Secretary
Forest Environment And
Climate Change Department
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi